फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... गोविन्दगढ़

प्रकाश वगैरा .... बनाम .... कुशालचन्द वगैरा

दावा घोषणात्मक मु०नं० 1/41/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
26/8/22 वकील वादी उपस्थित। यह दावा वकील वादी ने पेश किया। दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादी गण जरिये सम्मन रजि० डाक से तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी दिनांक 6.10.22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	352-63 / 1.9.22
6.10.22 पत्रावली पेश। P.O. सा० स्थानांतरण पर है। पत्रावली दिनांक 10.11.22 को पेश हो। प्रति० 1 व 3 की ओर से हेतराम ने वकालतनामा पेश किया।	
10.11.22 पत्रावली पेश। P.O. साहब स्थानान्तरण पर है। पत्रावली दिनांक 15.12.22 को पेश हो। प्रति० की तलबी की रजि० डाक की रसीद पेश की। रीडर	
15-12-22 पत्रावली पेश। P.O. साहब स्थानान्तरण पर है। पत्रावली दिनांक 19-01-23 को पेश हो। रीडर	
19.1.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब .... है। पत्रावली दिनांक 23.2.23 को पेश हो। रीडर	
23-2-23 पत्रावली पेश। P.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 27/3/23 को पेश हो। रीडर	

प्रकाश बनाम कुशालचंद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जारी हुआ
09.7.25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान पुकारान अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते कार्यवाही तनकीयात दिनांक 13.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
18.7.25	पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थना। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय से तलाश की जाकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया है कि वादीगण का राजीनामा हो गया है। वादीगण अपना दावा नहीं चलाना चाहते है तथा खारिज कराना चाहते है। दावा खारिज फरमाया जावे। श्रवण वकील वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	सरजीत Vijay Saini

सेवामें,

अदालत उप खण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

राजस्व वाद पत्र संख्या 41 सन् 2022
26.8.22

1— प्रकाश पुत्र रामजीलाल उम्र करीब 65 साल जाति यादव

निवासी विवेकानन्द नगर, सुन्दरनाथ बावडी अलवर

2— ओमप्रकाश पुत्र रामजीललाल उम्र करीब 62 साल जाति यादव

3— सरजीत पुत्र रामजीलाल उम्र करीब 52 साल जाति यादव

4— बिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल उम्र करीब 50 साल जाति यादव

5— मु. दुलारी बेवा रामजीलाल उम्र करीब 85 साल जाति यादव

निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

"मृतक"

6— लक्ष्मी स्त्री महेश उम्र करीब 40 साल जाति यादव

7— अनिल पुत्र महेश उम्र करीब 21 साल जाति यादव

8— सुनील पुत्र महेश उम्र करीब 19 साल जाति यादव

निवायान कृष्णा कॉलोनी 1 च 3 हाऊसिंग बोर्ड भरतपुर

अनिल यादव
सुनील यादव

9– दिनेश पुत्र जगदीश उम्र 36 साल जाति यादव

10– योगेश पुत्र जगदीश उम्र 34 साल जाति यादव

11– मु. समला बेवा जगदीश उम्र 65 साल जाति यादव

जातियान अहीर निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

12– मु. उषा पुत्री जगदीश स्त्री सुनील जाति यादव हाल निवासी अपना घर शालीमार अलवर तहसील व जिला अलवर

– वादीगण

बनाम

1– कुशाल चन्द पुत्र भोलू उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी रामानंद नगर जयपलटन गेट के पास लाल डिग्गी अलवर

2– परमा राम पुत्र भोलू उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

3– महेन्द्र पुत्र भोलू उम्र 69 साल जाति अहीर निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर

4– मु. रामा पुत्री हरचन्द स्त्री लवकुश अहीर उम्र 60 साल साकिन राजाजी का बास अलवर

अनिल यादव
सुनील यादव

विजयलक्ष्मी

5– मु. मधु पुत्री हरचन्द स्त्री लक्ष्मीनारायण उम्र 57 साल जाति अहीर निवासी नयागांव माचाडी तहसील राजगढ जिला अलवर

6– मु. आशा पुत्री हरचन्द स्त्री रमेश उम्र करीब 54 साल जाति अहीर निवासी मयूर विहार मालवीय नगर के सामने वन्डरहाईट के पीछे अलवर

7– मु. मुकुट पुत्री हरचन्द स्त्री ओमप्रकाश उम्र करीब 50 साल जाति अहीर निवासी रेल्वे फाटक के पास अलवर रोड रामगढ ,अलवर

8– मु. पिस्ता पुत्री हरचन्द स्त्री लालसिंह उम्र 47 साल जाति अहीर निवासी ग्राम घिलावटी कामा तहसील कामा जिला भरतपुर

9– मु. सरोज स्त्री गोपाल उम्र 45 साल

10– मु. मनीषा पुत्री गोपाल उम्र करीब 19 साल

11– अमित पुत्र गोपाल उम्र 21 साल

12– नवीन पुत्र गोपाल उम्र 17 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त मु. सरोज माताखुद जातियान अहीर निवासीयान ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज0 – प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक बमशवरे इसके कि वादीगण को आराजी खसरा नंबर 590 रकबा 0.2908, 591 रकबा 0.2529, व खसरा नंबर 681 रकबा 0.2781 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो वादीगण को उक्त आराजी में शामलात में हिस्से मुताबिक काश्त करने में कोई व्यवधान पेदा नही करे। धारा 88/89 R.T.Act

श्रीमान

दावा वादीगण की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1– यह है कि आराजी खसरा नंबर 590 रकबा 0.2908, 591 रकबा 0.2529, व खसरा नंबर 681 रकबा 0.2781 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ में स्थित है जिसके क्रमशः साबिक खसरा नंबर 541, 548 व 555, 562 है जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी से सम्बोधित की जा रही है।

2– यह है कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जो मृतक श्री मेडू के परिवार के सदस्य एवं वारिसान है जिनका सजरा निम्न प्रकार है –

आनिल यादव
सुनील यादव

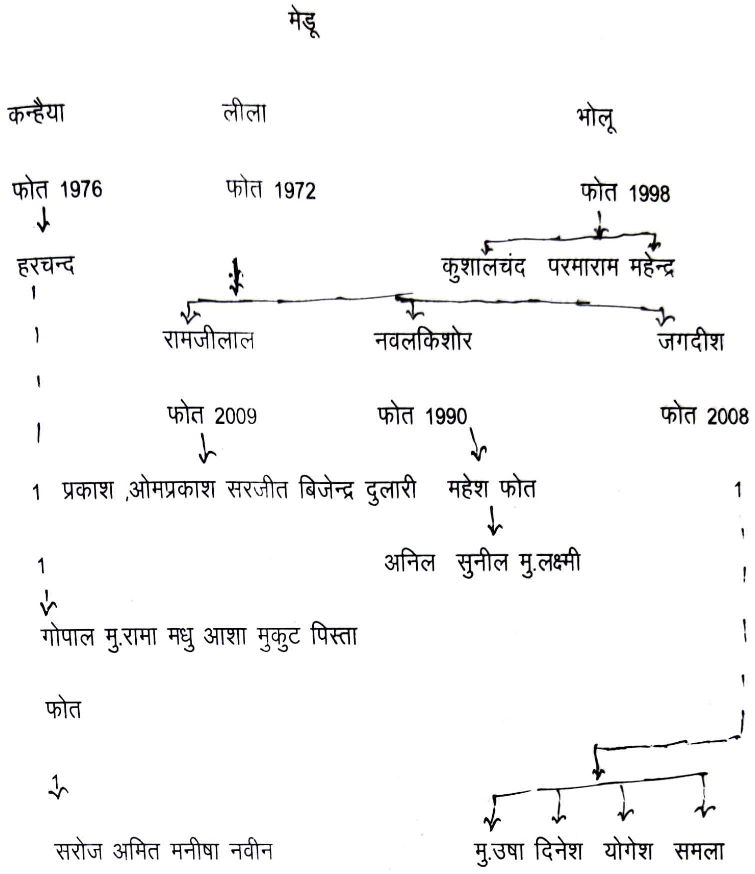

3– यह कि उक्त सजरे से स्पष्ट है कि मृतक मेडू के तीन पुत्र कन्हैया , लीला, भौलू पैदा हुये। कन्हैया सन 1976 में फौत हो गया उसके एक लडका हरचन्द था जो सन 2018 में फौत हो गया । हरचन्द के एक लडका गोपाल हुआ जिसकी कानूनी मृत्यु हो चुकी है जिसके कानूनी वारिसान उसकी बेवा , पुत्र व पुत्री है जो प्रतिवादी नंबर 9, 10, 11, 12 मौजूद है दूसरा लडका लीला सन 1972 में फौत हो गया जिसके तीन पुत्र रामजीलाल नवल किशोर जगदीश पैदा हुये जो तीनो ही फौत हो गये है रामजीलाल के कानूनी वारिस

वादी नंबर 1, 2, 3, 4, पुत्र एवं वादी नंबर 5 उसकी बेवा मौजूद है नवल किशोर के कानूनी वारिसान एक पुत्र महेश हुआ जो भी सन 2014 में फौत हो गया जिसके कानूनी वारिसान वादी नंबर 6, 7, 8 है जो उसकी बेवा एवं पुत्रगण है तीसरा लडका जगदीश सन 2008 में फौत हो गया उसके कानूनी वारिस वादी नंबर 9, 10 पुत्रगण वादी नंबर 11 उसकी स्त्री एवं वादी नंबर 12 उसकी पुत्री मोजूद है मेडू का तीसरा लडका भोलू सन 1998 में फौत हो गया जिसका तर्का प्रतिवादी नंबर 1, 2, 3,उसके पुत्रगण ने प्राप्त किया है इस प्रकार पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।

4– यह कि विवादित आराजी मृतक मेडू की पैदा कर्दा आराजी थी जो आराजी मेडू के फौत होने पर उसके तीनो पुत्रगण कन्हैया, भौलू, लीला को बहैसियत वारिसान प्राप्त हुई जिस विवादित आराजी को कन्हैया भौलू व लीला शामलात में ही बहिस्सा बरा बर बरा बर काश्त करते चले आ रहे थे साबिक रिकार्ड में तीनो का नाम दर्ज है तथा कन्हैया भोलू व लीला के फौत होने पर उनके वारिसान बहिस्से बराबर बराबर रूप से शामलात में काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान समय में भी शामलात में काश्त कर रहे है वादीगण का विवादित आराजी में मृतक लीला के वारिसान का 1/3 हिस्सा है तथा कन्हैया के वारिसान प्रतिवादी नंबर 4 ला0 12

का 1/3 हिस्सा है तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 1 ला0 3 का है जो भोलू के वारिसान है।

5— यह है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है जो आराजी पैतृक आराजी है जो आराजी वर्तमान समय में भी शामलात में काश्त हो रही है तथा फसल पैदावार हिस्से अनुसार प्राप्त करते चले आ रहे है । साबिक खसरा गिरदावरी संवत 2013 ला0 17 में भी शामलात काश्त का अंकन दर्ज है।

6— यह है कि ग्राम रामबास पहले लछमनगढ तहसील में आता था अब वर्तमान समय में गोविन्दगढ नई तहसील बन जाने से तहसील गोविन्दगढ के सीमा क्षेत्र में आताहै।

7— यह है कि लछमनगढ तहसील का बन्दोबस्त कार्य संवत 2019—20 से शुरू होकर संवंत 2028 में समाप्त हो गया ।

8— यह है कि संवत 2028 में सैटिलमेन्ट कार्य पूर्ण होकर राजस्व रिकार्ड, सैटिलमेन्ट ने तैयार किया जिस राजस्व रिकार्ड में सैटलमेन्ट कर्मचारी एवं अधिकारियो तथा राजस्व कर्मचारीगण की गलती से वादीगण के बुजुर्ग मृतक लीला का नाम दर्ज नही किया तथा जिस गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण के बुजुर्ग लीला या उसके पुत्रगण रामजीलाल, नवलकिशोर, जगदीश को नही हो सकी क्योंकि वादीगण के बुजुर्ग लीला

तो सैटिलमेन्ट के दैरान ही फौत हो गया तथा वादीगण के बुजुर्गो को भी इसगलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी क्योंकि वो तथा प्रतिवादीगण बदस्तूर विवादित आराजी पर शामलात रूप से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है।

9— यह है कि अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आगई है ओर वो विवादित आराजी में वादीगण या उनके बुजुर्ग का नाम सैटिलमेन्ट होने के बा दनाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से नाजायज लाभ उठाना चाहते है तथा अब वादीगण को शामलात में काश्त करने में व्यवधान पैदा करने लग गये और कहने लगेकि वादीगण का नाम का इन्द्राज राजस्वरिकार्ड में दज्र नही है इसलिये वादीगणको अब काश्त नही करने देगें। प्रतिवादीगण ने दिनांक 25—7—22 को वादीगण के शामलात में काश्त करने को मना किया तथा कब्जा छोडने को कहा तथा यह कहा कि खातेदारी हमारे नाम है तुम्हारा विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है तो वादीगण ने अलवर आकर राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तथा प्राप्त की तो वादीगण को इस बाबत जानकारी हुई कि सैटिलमेन्ट से पहले हमारे बुजुर्ग का नाम दर्ज है सेटिलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीगण या सैटिलमेन्ट कर्मचारीगण ने वादीगण के बुजुर्ग लीला का नाम

का अंकन नही किया तथा प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाना चाहते है हम वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 5–8–22 को इन्द्राज दुरूस्त करा कर वादीगण के नाम का इंन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्द्राज ठीक कराने को इंकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित आराजी में कब्जा हटाने को कहा तथा यह कहा कि अब हम तुम्हे काश्त नही करने देगें ओर जबरनबेदखल कर दीगर को रहन बय हिबे आदि से मुन्तकिल कर देगें प्रतिवादीगण राजीखुशी इन्द्राज दुरूस्त करा कर वादीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराने को तैयार नही है। तथा नाजायज रूप से वादीगण को शामलात काश्त करने में व्यवधान करने की धमकी दी है। राजीखुशी प्रतिवादीगण तैयार नही है अतः यह वाद इस्तकरारहक वो स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण क` विरूद्ध पेश करना आवश्यक हो गया जो पेश किया जा रहा है।

10– यह कि दावा हाजा के लिए बिनायदावी दिनांक 25–7–22 को पेदा हुई कि जिस दिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को काश्त करने को मना किया व कब्जा छोडने को कहा तथा बिनायमुखास्मत दिनांक 5–8–2022 को पेदा हुई है कि जिस दिन प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त कराने से इंकार कर

बिजेन्द्र
ओमप्रकाश
सरजीत
दिनेश
अनिल यादव
सुनील यादव

दिया ओर काश्त नही करने देने व बेदखल करने की धमकी दी । जिससे दावा हाजा मामूलन अंदर अवधी पेश है।

11— यह कि विवादित आराजी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ में स्थित है जिससे दावा हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है।

12— यह कि दावा हाजा पर कोर्ट फीस 2/— व नियमानुसार तलबाना पेश है।

13— अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे —

1— डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर की जाकर वादीगण को आराजी खसरा नंबर 590 रकबा 0.2908, 591 रकबा 0.2529, व खसरा नंबर 681 रकबा 0.2781 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

2— डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो वादीगण को उक्त आराजी में शामलात में हिस्से मुताबिक काश्त करने में कोई व्यवधान पेदा नही करे।

धर्मेन्द्र
ओमप्रकाश
सरजीत
हरेरा

अनिल यादव
सुनील यादव
विजयपालसिंह

3– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

4– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत व न्याय संगत हो अता फरमाने की कृपा करे।

दिनांक 18–8–2022 प्रार्थीगण

प्रकाश ,ओमप्रकाश ,सरजीत बिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल ,मु. दुलारी बेवा रामजीलाल ,लक्ष्मी स्त्री महेश ,अनिल पुत्र महेश ,सुनील पुत्र महेश जातियान अहीर निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर ,दिनेश पुत्र जगदीश योगेश पुत्र जगदीश उम्र 34 साल जाति यादव,मु. समला बेवा जगदीश उम्र 65 साल जाति यादव जातियान अहीर निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर ,मु. उषा पुत्री जगदीश स्त्री सुनील जाति यादव हाल निवासी अपना घर शालीमार अलवर तहसील व जिला अलवर – वादीगण

सत्यापन

हम वादीगण अहाते अदालत गोविन्दगढ में सत्यापित करते है कि उक्त दावा में वर्णित सभी तथ्य पेरा1 से 12 हमारी निजी जानकारी व कानूनी सलाह से सही व दुरूस्त है कोई तथ्य नही छिपाया है।

दिनांक हस्ताक्षर